

क्रमांक : FP/RJ/TRANS/145262/2021

सेवा में,  
श्रीमान उप वन संरक्षक,  
जोधपुर

D. 65  
19/07/2023

दिनांक :-10-07-2023

विषय - अनुपालना रिपोर्ट Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021)

संदर्भ- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 एवं आपके आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2022/624 दिनांक 25-01-2023।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :-FP/RJ/TRANS/145262/2021

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के हांगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही हांगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
9.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना अनुसार धनराशि 1,03,000/- रुपये देयपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 24.04.2023 को जमा कराया दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विधि निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)

<p>11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि OSMFWP (Online Submission &amp; Monitoring of Forest &amp; Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,07,869/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission &amp; Monitoring of Forest &amp; Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 24.04.2023 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना संख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 67,282/- रुपये दिनांक 24.04.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आपष का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।</p>	<p>सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आपष का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।</p>
<p>14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।</p>
<p>14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरपत्र प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।</p>	<p>भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरपत्र प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।</p>

  
 भवदीय  
 Assistant Engineer (Kainth)  
 Ass. (T&C) Engineer (T&C)  
 Bhadiya (Jharkhand)





राजस्थान RAJASTHAN

BL 009936

### शपथ-पत्र

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.

मैं राजेन्द्र सिंह कंध शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि-


1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. इन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. प्राचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

  
Assistant Engineer  
(TSC) RVPAL  
Jodhpur (Rajasthan)



10. वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि 1,03,000/- रुपये दिनांक 24.04.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।
12. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा वृक्षों से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,07,869/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 24.04.2023 को जमा करवा दी गई है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 67,282/- रुपये दिनांक 24.04.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।
15. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी।
16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरपः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

  
**Rajendera Singh Kainth**  
 Assistant Engineer (T&C)  
 (T&C) RVPND  
 RVPND Bhadla  
 Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
(T&C) RVP  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer (T&C)  
RVPNL Bhadla  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla Jodhpur  
Assistant Engineer (T&C)  
RVPNL Bhadla

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.

**सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Assistant Engineer (T&C) RVPNL Bhadia)  
Assistant Engineer (T&C)  
Bhadia, Jodhpur  
RVPNL Bhadia



क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendera Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
T&C, RVPNL, Bhadla (T&C)  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
Ass(T&C) RVPNL  
Bhadra (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendera Singh Kainth)  
Assistant Engineer (T&C)  
(T&C) BVP  
Bhadla (Jodhpur)



क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No. (FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendera Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL (T&C)  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No. (FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


**सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जायेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि 1,03,000/- रुपये दिनांक 24.04.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
T&C Division (T&C)  
Badisid (Jodhpur)

FORM-III

(For plantations on non-forest land and notified as "Protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 Census)

Government of Rajasthan  
**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JODHPUR**  
\*\*\*\*\*

No..3342

Dated. 10/07/2023

**TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN**

In compliance of the Rule 6(3) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.1004 Hectares** of Forest Land proposed to be diverted in favour of Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Bhadla (Raj.) for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap in the district falls within the jurisdiction of **Village Badisid in Bap Tehsil** having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011.

It is further certified that :

- (a) The Protected Forest (s) namely Badisid involved in the above villages are plantations raised on non-forest land on or after 13<sup>th</sup> December 1930 and were notified as PF vide notification no- August 5, 1978 (Copy Attached).
- (b) Therefore, these PFs neither have residing Schedules Tribes nor have other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having right recognized under Forest Right Act, 2006.

Encls.: As above.

  
**(Himanshu Gupta)**  
District Collector  
Jodhpur

Date : 10/07/2023

No. Revenue/Forest/Diversion/23/3343-3344

Copy Forwarded to :

1. DCF, Teritorial, Jodhpur.
2. Assistant Engineer (T & C) Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. Bhadla (Raj.)



  
for District Collector  
Jodhpur

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)





क्रमांक:- राजस्व / FRA / 2023 / 3345

दिनांक : 10/07/2023

### बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, भड़ला द्वारा 220 केवी जीएसएस बड़ीसिड से रेलवे टीएसएस बाप तक डी/सी टॉवर पर 132 केवी एस/सी बड़ीसिड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु ग्राम बड़ीसिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर में वन विभाग की भूमि में से रकबा 0.1004 हैक्टेयर प्रस्तावित रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।


उक्त के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा (6)3 के प्रावधान अनुसार गठित एवं प्रदत्त अधिकारों/कर्तव्यों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.07.2023 को आहूत की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए-


1. श्री हिमांशु गुप्ता
2. श्री अभिषेक सुराणा
3. श्री अजीत उचर्ड


जिला कलक्टर, जोधपुर (अध्यक्ष)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर  
उप वन संरक्षक, जोधपुर


उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड अधिकारी, बाप में दिनांक 18.01.2023 को उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसका बैठक कार्यवाही विवरण जिला स्तरीय बैठक में विचारार्थ रखा गया। उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण में बताया गया है कि उक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति/अन्य परम्परागत वन निवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है। उपखण्ड स्तरीय समिति ने 220 केवी जीएसएस बड़ीसिड से रेलवे टीएसएस बाप तक डी/सी टॉवर पर 132 केवी एस/सी बड़ीसिड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण की अनुमोदित भूमि पर ट्रांसमिशन लाईन बिछाने हेतु प्रत्यावर्तन करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मती से पारित किया है।

उक्त ट्रांसमिशन लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली 0.1004 हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत उक्त प्रस्तावित भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार का कोई भी दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में विचाराधीन है। तदनुसार ग्राम बड़ीसिड, तहसील बाप, जिला जोधपुर की वन भूमि में से 0.1004 हैक्टेयर वन भूमि पर बड़ीसिड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार अनुशंसा की जाती है।

  
उप वन संरक्षक,  
जोधपुर

  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, जोधपुर

  
जिला कलक्टर,  
जोधपुर

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

उपखण्ड बाप / जिला - JRA / 2023 / 4715

दिनांक: 09/3/23

प्रेषित


श्रीमान् जिला कलक्टर मातोदग,  
जोधपुर

विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (FIRA Certificate) जारी करने बाबत।  
परम - श्रीमान् आपका पत्र सं. राजसर्व/FIRA/21/0520 दिनांक 14.12.2021

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सहायक अभियन्ता (टी एण्ड सी), आर.वी.पी.एन.एल., भडला ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए ट्रांसमिशन लाइन वन मंडल जोधपुर के गडीशिड के रेल्वे टोरसएस के त्पर से गुजरना प्रस्तावित है। ट्रॉन्समिशन लाईन स्थापित किये जाने के संबंध में रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सहायक अभियन्ता (टी एण्ड सी) आर.वी.पी.एन.एल. भडला द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ट्रॉन्समिशन लाईन के द्वारा उक्त भूमि पर किसी भी जनजाति अथवा कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। अतः इस संबंध में उक्त अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निवेदन किये जाने एवं आपके आदेशों की पालना में उपखण्ड स्तरीय गठित समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 को अघोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 संशोधन नियम 2012 की कियान्विति के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न - बैठक कार्यवाही विवरण


  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप(जोधपुर)

दिनांक:- 09/3/23

क्रमांक / सम / 2023 / 4715

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सहायक अभियन्ता (टी एण्ड सी), आर.वी.पी.एन.एल., भडला ।
2. रक्षित पत्रावली ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप(जोधपुर)

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)





राजस्थान-शासक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप (जोधपुर)

संपर्क सूत्र-02921-277050

कार्यालय का पता - उपखण्ड कार्यालय परिहार बाप  
उभाक / बैठक / FRA/ 2023 / 576 - 2

ईमेल - sdmbap-jodhpur@nic.in

दिनांक:- 18/1/23


-:बैठक कार्यवाही विवरण:-

उपखण्ड स्तरीय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.01.2023 को कार्यालय हाजा में निम्न हस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गयी:-


1. सहायक अभियन्ता(टी एण्ड सी), आर.वी.पी.एन.एल., भडला ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए ग्राम बडीसिड तहसील बाप से रेल्वे टीएसएस बाप भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं कर रहे हैं, के एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र से संबंधित है।
2. समिति द्वारा उक्त प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि सहायक अभियन्ता(टी एण्ड सी), आर.वी.पी.एन.एल., भडला द्वारा उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह ट्रांसमिशन लाइन वन मंडल जोधपुर के बडीसिड के रेल्वे टीएसएस के उपर से उपरोक्तानुसार गुजरना प्रस्तावित है। इस हेतु वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति दी जाती है।
3. चूंकि उपखण्ड बाप, जिला जोधपुर में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः ग्राम बडीसिड तहसील बाप से रेल्वे टीएसएस बाप एफ.आर.ए. हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाप  
सदस्य

  
विकास अधिकारी  
सदस्य

  
तहसीलदार बाप  
सदस्य

उक्त कमेटी की अनुशंका के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
बाप(जोधपुर)

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPRL  
Bhacha (Jodhpur)



क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


**सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendera Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
Assistant Engineer (T&C)  
(RVPNT Bhadla)  
Bhadla (Jodhpur)

दिनांक :- 10-07-2023

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No. (FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा घुन्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये धनराशि 1,07,869/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 24.04.2023 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
T&C/RVPL (T&C)  
Badisid (Jodhpur)

दिनांक :- 10-07-2023

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No. (FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 67,282/- रुपये दिनांक 24.04.2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
Assistant Engineer (T&C) RWD  
Jodhpur (Rajasthan)



# कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुत्रिस कनिष्ठ-र ऑफिस के सामने, नर्सरी लोकसेवा पोल न 0291-2636753 ई-मेल dfojodhpur@gmail.com  
क्रमांक: एफ (139) / एफ.सी.ए / उवस / 2022 / 624

दिनांक: 25/01/2023

निमित्त:—Assistance Engineer (T&C)

132 KV GSS, MBM Engineering College  
Rajasthan Rajya Vidyut Parsam Nigam Limited  
Bhadala, Tehsil- Phalodi  
Dist- Jodhpur (Rajasthan) PIN-334 003

विषय:— Diversion of 0 1004 Ha for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/145262/2021

संदर्भ:—राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022

दिनांक 09.01.2023 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09.01.2023 द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 0 1004 Ha for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/145262/2021 में वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः संदर्भित पत्र से अधिरोपित निम्नलिखित बिन्दुओं की राशि जमा करवाकर, शेष शर्तों की भी पालना/वचनबद्धता रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें:—

**बिन्दु संख्या 9**—प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित बिद्युत लाईन के नीचे बाने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 0.1004X1028000 रूपये = 1,03,000/- (अक्षरे एक लाख तीन हजार रूपये मात्र ) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

**बिन्दु संख्या 11**—प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वनविभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धन राशि रूपये 1,07,869/- (अक्षरे एक लाख सात हजार आठ सौ उनसत्तर रूपये मात्र ) ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

**बिन्दु संख्या 12**— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई.एस. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि (T. N GodavarmanThirumulpad petitioners में दिये आदेशानुसार Open Forest NPV@ 6,70,140 = 0.1004X670140 रूपये = 67,282/- (अक्षरे सडसठ हजार दो सौ बैयासी रूपये मात्र ) रूपये ई-चालान पोर्टल के माध्यम से कैम्पा मद नई दिल्ली में जमा करावे।

कृ०पृ०उ०

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)

उक्त के अलावा सैद्धान्तिक स्वीकृति व शेष बिन्दुओं के बिन्दु संख्या 1 से 8, 10 एवं 13 से 15 की बिन्दुवार पालना/वचनबद्धता सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे। प्रकरण में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑन लाइन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावे। इसके अलावा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों वगे एक मूल प्रति व 4 सेट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाणित प्रतियों की पालना के साथ इस कार्यालय में उपलब्ध करावें, ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अजिता उपाध्ये)  
उप वन संरक्षक  
जोधपुर

क्रमांक: सम/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर



उप वन संरक्षक  
जोधपुर

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)



## AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank  
of India

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-04-2023

Agency Name.	RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64145262000
MoEF/SG File No.	1(156)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address.	Vidhyut Bhawan, Jyoti Nagar Jaipur
Amount(in Rs)	278151/-

Amount in Words Two Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564145262000 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank  
of India

## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-04-2023

Agency Name.	RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64145262000
MoEF/SG File No.	1(156)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	Vidhyut Bhawan, Jyoti Nagar Jaipur
Amount(in Rs)	278151/-


Amount in Words Two Lakh Seventy-Eight Thousand One Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508564145262000 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: [fcsblr@unionbankofindia.bank](mailto:fcsblr@unionbankofindia.bank), [epurse@unionbankofindia.bank](mailto:epurse@unionbankofindia.bank), [ubin0903710@unionbankofindia.bank](mailto:ubin0903710@unionbankofindia.bank)

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)





Date : 24 Apr 2023  
Account Number : 00000061329145429  
Description : CA-GEN-PUB OTH-NONRURAL-INR  
Name : AO T AND C BHADALA RVPN  
Currency : INR  
Corporate Address : 220 KVGSS PREMISES POKARAN ROAD NEAR PASHU MELA  
MAIDAN PHALODI  
PHALODI  
RAJASTHAN-342301

Branch : PHALODI(31205)

Rate of Interest (% p.a.) : 0.0%

IFS Code : SBIN0031205

Book Balance : 544075.83

Available Balance : 544075.83

Hold Value : 0.00

MOD Balance : 0.00

Uncleared Amount : 0.00

Balance as on 24 Apr 2023 : 5,22,226.83

Account Statement from 24 Apr 2023 to 24 Apr 2023

Txn Date	Value Date	Description	Ref No./Cheque No.	Branch Code	Debit	Credit	Balance
24/04/2023	24/04/2023	BY TRANSFER-CMP RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD.	CMP00000006407153 15A0IU923568 TRANSFER FROM 51093320658 RRVPL /	99922		3,00,000.00	8,22,226.83
24/04/2023	24/04/2023	TO TRANSFER-INB RTGS UTR NO: SBINR12023042445303486- RAJASTHAN CAMPA	RTGS INB: CRE4287805 TRANSFER TO 99827044308 / RAJASTHAN CAMPA	99922	2,78,151.00		5,44,075.83

\*\*This is a computer generated statement and does not require a signature.

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendera Singh Kainth)  
Assistant Engineer (T&C)  
(T&C) P.V.M. Bhadla  
Bhadla (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer (T&C)  
(T&C) RVP  
Bhadla (Jodhpur)



क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No.(FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.


सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09-01-2023 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरपः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
T&C Officer (T&C)  
RVPC Bhadia  
Bhadia (Jodhpur)

क्रमांक :- FP/RJ/TRANS/145262/2021

दिनांक :- 10-07-2023

**Project Name:** - Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil-Bap, District-Jodhpur (Rajasthan). Proposal No. (FP/RJ/TRANS/145262/2021), Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/TRANS/145262/2021

**Applied Area:** -0.1004 Ha.

**UNDERTAKING FOR INSTALLATION BIRD DIVERTOR AND UNDERGROUND CABLE**


AEN (T&C) Rajasthan Rajya Vidhyut Parsaran Nigam Limited, Bhadla Dist:- Jodhpur Rajasthan is hereby undertake that, User Agency will comply the Order's/ Decision of Hon.High Court as well as National Green Tribunal regarding Conservation of Great Indian Bustard.

We also hereby undertake that; User Agency will install the Bird Divertor as per specification.

भवदीय

C/S

Deputy Conservator of Forests  
Jodhpur, Rajasthan

  
(Rajendra Singh Kainth)  
Assistant Engineer  
T&C RVPNL (T&C)  
Bhadla (Jodhpur)



राजस्थान सरकार  
वन विभाग

क्रमांक प. 1 (156) वन/2022

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-** Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) (FPRI/TRANS/145262/2021)

**संदर्भ:-**आपका पत्रांक एफ 14 (TRANS)2021/एफसीए/प्रमुवस/4169 दिनांक 13.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत 220 क्वी जीएसएस बाडीसिड से रेलवे टीएसएस बाप तक डी/सी टावर पर 132 क्वी एस/सी बडीसिड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 0.1004 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष क पातन सहित निम्न शर्तों के अध्ययन प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जावेगी।

कार्यालय पता- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी

जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@raj

Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3033143

Digitally signed by Venkatesh Sharma

Designation: Additional Principal

Chief Conservator of Forest (APCCF)

Date: 2023.01.09 15:39:52 IST

Reason: Approved

Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)





9. उप वन संरक्षक द्वारा विरुद्ध लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पीवों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा ।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो ) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( वेंकटेश शर्मा )  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

कार्यालय पता- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in  
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--

RajKaj Ref No. : 3033143

Validity unknown

Digitally signed by Venkatesh Sharma  
Designation: Additional Principal  
Chief Conservator of Forest (APCCF)  
Date: 2023.01.09 15:39:52 IST  
Reason: Approved

Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)



2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्षा संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जोधपुर।
5. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
6. उप वन संरक्षक, जोधपुर।
7. सहायक अभियंता, 132 कै.वी. जी.एस.एस. एम.डी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रवली।

शासन सचिव

Validity unknown

कार्यालय पता— वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी जयपुर, दूरभाष संख्या— 0141-2227762 Mail ID ads.forest@raj. Commanpuc/secy. Forest/Ajay-- RajKaj Ref No. : 3033143

Digitally signed by Venkatesh Sharma  
Designation: Additional Principal  
Chief Conservator of Forest (APCCF)  
Date: 2023.01.09 15:39:52 IST  
Reason: Approved

  
Assistant Engineer  
(T&C) RVPNL  
Bhadla (Jodhpur)





## Notice Inviting Bid

Bids are invited as per specifications of RSRTC up to 17:00 Hrs on 03.03.2023. Detail of the bids may be seen at <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <https://sppp.raj.nic.in> and <https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc>.

Chassis type for fabrication of passenger buses based on diesel fuel conforming to BS VI norms	Approx. value	UBN No.
3x2 blue line	61.20 Crore	RTC2223GLOB00647
2x2 non-AC star line bus	31.50 Crore	RTC2223GLOB00648
2x1 non-AC sleeper bus	22.00 Crore	RTC2223GLOB00649

General Manager (Bus Body)

### राजस्थान सरकार

### वन विभाग

क्रमांक. प 1 (156) वन/2022

जयपुर, दिनांक-09.01.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)

राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-** Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) (FP/RJ/TRANS/145262/2021)

**संदर्भ:-** आपका पत्रांक एफ 14 (TRANS)2021 / एफसीए / प्रमुखस / 4169  
दिनांक 13.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (प्रयोक्ता अभिकरण), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत 220 केवी जीएसएस बाडीसीड से रेलवे टीएसएस बाप डी/सी टावर पर 132 केवी एस/सी बाडीसीड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 0.1004 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. उपरोक्त वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विनियमों का पालन करेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निश्चिन्ता प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरोक्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
14. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
15. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय वन विभाग द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को मुजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,  
(बैकटेरा शर्मा)  
Assistant Engineer, राजस्थान सरकार

5732/2023



gov.in  
where e-tender can be seen & filled up : www.ireps.gov.in



Company in terms  
of tender  
of open  
tenders

Criteria and  
document can also

Address:  
Town  
Phone-587102.  
Email@gmail.com

1/11/2023-  
01-2023

Measurement only

Company registered  
Costing of Rs.  
Tenders for work  
of Karnataka  
e tender. The  
PM. Technical  
(eligible) and Any  
person or over

Engineer,  
01, Bagalkote.

**SCHEME**

Medical & Non Medical  
period of one year  
maximum age subject to  
as mentioned against

Post	Fixed Remuneration
...	75,000/-
...	75,000/-
with PCB Pharmacy	28,100/-
SS/Class-I (and Forces) Working License	19,700/-
with or ...	16,800/-

Kindly send your  
Application to  
...

15.02.2023 up to 15.02.2023 6. Details  
Note: No manual tender will be accepted. Any  
further Addendum/Corrigendum for this tender will be posted on above mentioned  
websites.

General Manager/Elect., DFCCIL/Ajmer

**NATIONAL FERTILIZERS LIMITED**  
(A Govt. of India Undertaking)  
Zonal Marketing Office : S.C.O. 76-79, Sector-17 D, Chandigarh  
Phone No. 0172-2704485, 2703714 FAX No. 0172-2707384  
Regd. Office:- Scope Complex, Core-III, 7, Institutional Area, Lodhi Road, NewDelhi-110003  
CIN: L74899DL1974GOI007417

**TENDER FOR APPOINTMENT OF H & T CONTRACTORS AT VARIOUS RAKE POINTS IN RAJASTHAN**  
Tenders with 2- part bidding are invited from experienced and financially sound parties for appointment  
of Handling and Transportation contractor at rake point Kanakpura, Hindaun City, Barmer, Phalodi and  
Rana Partap Nagar in Rajasthan Tender document can be downloaded from the website  
[www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) & <https://etenders.gov.in/eprocure/app>. Payment of E.M.D of Rs. 25000/-  
shall have to be deposited through NEFT/RTGS in the Bank Account of NFL as per details mentioned in NIT.  
Last date for submission of Tender Documents in accordance with tendering procedure is 22.02.2023  
up to 2.30 p.m. For more details, please log on to the website of NFL.  
Any corrigendum to the press advertisement will be displayed on NFL web site only.  
**NFL RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT / REJECT ANY OR ALL THE TENDERS.** Zonal Manager

**राजस्थान सरकार**  
**वन विभाग**

क्रमांक: प 1 (156) वन / 2022 जयपुर, दिनांक:-09.01.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

**विषय:-** Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of  
132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C  
Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap  
(Total Length 9644 Meters)(FP/RJ/TRANS/145262/2021)

**संदर्भ:-** आपका पत्रांक एफ 14 (TRANS)2021 / एफसीए / प्रमुखस / 4169  
दिनांक 13.12.2022

महोदय,  
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम  
लिमिटेड (प्रयोक्ता अभिकरण), द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति  
के तहत धारा-2 के अन्तर्गत 220 केवी जीएसएस बाडीसीड से रेलवे टीएसएस बाप तक  
डी/सी टावर पर 132 केवी एस/सी बडीसीड-बाप टीएसएस ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण  
हेतु 0.1004 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण  
अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के  
अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1004 ha of forest land for  
Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from  
220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters) की सैद्धान्तिक  
स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की  
वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके  
संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं  
काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए  
किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को  
रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से / पर  
निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट  
प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे / बौने पीधों  
(औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा  
प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा  
निर्देशों का पालन करेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100  
वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना  
वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता  
अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online  
Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance) द्वारा उपलब्ध

Assistant Engineer  
(HCC) FVPA  
...